

प्रेस नोट थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर दिनांक 28.01.2024

कूटरचित दस्तावेजो द्वारा धोखाधडी व प्रतिरुपण करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधडी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष चौरी चौरा के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 547/2023 धारा 419,420,467,468,471,323,504,506 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त रविन्द्र कुमार यादव पुत्र सूर्यनाथ यादव निवासी गौरी बुजुर्ग थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रविन्द्र कुमार यादव पुत्र सूर्यनाथ यादव निवासी गौरी बुजुर्ग थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 547/2023 धारा 419,420,467,468,471,323,504,506 भादवि थाना चौरी चौरा गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 620/23 धारा 323,504,506 भादवि थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार की टीम-

1. थानाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह थाना चौरी चौरा गोरखपुर
2. उ0नि0 सुनील कुमार त्रिपाठी थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
3. का0 सूरज यादव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर